

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर


क्रमांक: _____/एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: _____

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश संख्या प.1(20)एम.ई/गुप-1/2018 दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना में
आ0 रेखा बागला, सहायक आचार्य, वायोकेमिस्ट्री विभाग को दिनांक 7/3/2019 को मध्याह्न पू/पश्चात्
इस महाविद्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त चिकित्सक शिक्षक अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा को
प्रस्तुत करेंगे।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक: 7322/एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: 7/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं समन्वयक, राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज0 जयपुर।
4. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्षों को भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सक शिक्षक को अपना कार्यभार अग्रिम वरिष्ठ अधिकारी को देने हेतु कहें।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
6. नियंत्रण अधिकारी, पुस्तकालय।
7. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अति0निजी सचिव, अतिरिक्त प्रधानाचार्य।
8. लेखाशाखा/पी.जी.शाखा/सामान्य शाखा/सांख्यिकी शाखा/आई.टी.सेल/विधि शाखा।
9. रक्षित पंजिका।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर

क्रमांक: _____/एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: _____

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश संख्या प.1(20)एम.ई/ग्रुप-1/2018 दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना में डा0 सुरेश कूलवाल, वरिष्ठ आचार्य, वक्ष एवं क्षय रोग विभाग को दिनांक 07/03/2019 को मध्याह्न ~~पूर्व~~/पश्चात् इस महाविद्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त चिकित्सक शिक्षक अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर को प्रस्तुत करेंगे।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक: 7320/एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: 7/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर।
3. अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं समन्वयक, राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज0 जयपुर।
5. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्षों को भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सक शिक्षक को अपना कार्यभार अग्रिम वरिष्ठ अधिकारी को देने हेतु कहें।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
7. नियंत्रण अधिकारी, पुस्तकालय।
8. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अति0निजी सचिव, अतिरिक्त प्रधानाचार्य।
9. लेखाशाखा/पी.जी.शाखा/सामान्य शाखा/सांख्यिकी शाखा/आई.टी.सैल/विधि शाखा।
10. रक्षित पंजिका।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई माजूसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर


क्रमांक: _____/एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: _____

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश संख्या प.1(6)एम.ई/ग्रुप-1/14 दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना में डा0 चांद भण्डारी, आचार्य, वक्ष एवं क्षय रोग विभाग को दिनांक 07/03/2019 को मध्याह्न ~~पूर्व~~ /पश्चात् इस महाविद्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त चिकित्सक शिक्षक अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर को प्रस्तुत करेंगे।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक: 7321 /एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक: 7/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर।
3. अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं समन्वयक, राजमेस, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज0 जयपुर।
5. संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्षों को भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सक शिक्षक को अपना कार्यभार अग्रिम वरिष्ठ अधिकारी को देने हेतु कहें।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
7. नियंत्रण अधिकारी, पुस्तकालय।
8. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अति0निजी सचिव, अतिरिक्त प्रधानाचार्य।
9. लेखाशाखा/पी.जी.शाखा/सामान्य शाखा/सांख्यिकी शाखा/आई.टी.सैल/विधि शाखा।
10. रक्षित पंजिका।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक